जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :-F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM)/2017-18/D-1054 दिनांक :- 28.11.17

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अनुसरण में आरक्षित दरों का पुनः निर्धारण कार्यालय आदेश क्रमांक F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM)/2017-18/D-799 Date 14.09.2017 के द्वारा किया गया है। जारी आदेश में निम्नलिखित योजनाओं/क्षेत्रों की आरक्षित दरों के संशोधन के प्रस्तावों का माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग एवं अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् आरक्षित दरों में संशोधित करते हुय निम्नानुसार आरक्षित दरें पुनः निर्धारित की जाती हैं:-

S.N.	Zone	Scheme Name	कार्यालय आदेश दिनांक 14.09.17 के अनुसार दरें	प्रभावी आवासीय आरक्षित दरें (रूपये प्र.व.मी.)
1	9	CENTRAL SPINE JAGATPURA	12000	16000
2	9	KHUSAR	10000	14000
3	9	MAHAL	12000	14000
4	9	MAHAL EXTENSION	10000	12000
5	9	NILAY KUNJ	9000	12000
6	9	RAMNAGARIYA	12000	14000
7	9	RAMNAGARIYA VISTAR	11000	12000
8	12	AMRITKUNJ	6000	9000
9	12	ANAND LOK PHASE-I	8000	10000
10	12	SWAPNA LOK	6000	10000
11		IN SIDE AREA RING ROAD IN JDA REGION	-	14000
12		OUT SIDE AREA RING ROAD IN JDA REGION	-	12000

1. उपरोक्त आवासीय आरक्षित दरें 80 फीट (24मीटर) की चौडाई वाली सड़क तक लागू होगी। 80 फीट से अधिक एवं 100 फीट (30मीटर) तक की सड़क चौडाई के लिए 10 प्रतिशत अधिक दर तथा 100 फीट से अधिक चौडाई वाली सड़क होने पर 15 प्रतिशत अधिक दर लागू होगीं। कार्नर के भूखण्डों में अधिकतम चौडाई वाली सड़क की आरक्षित दरें लागू होगी।

2 वाणिज्यिक आरक्षित दरें, आवासीय आरक्षित दर की दो गुणा होगी एवं संस्थानिक आरक्षित दर, आवासीय आरक्षित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।

3 यदि किसी भूखण्ड/भूमि के लिए एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिक दर ही प्रभावी होगी।

4 यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जविप्रा द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।

5 वे क्षेत्र, जो उपरोक्त तालिका में अंकित योजनाओं के क्षेत्रों, सड़कों के किनारे निर्धारित पट्टी इत्यादि में सम्मिलित नहीं है, उस हेतु MDP-2025, के वर्गीकरण अनुसार सम्बन्धित जोन की U-1,U-2, U-3, Rural & Ecological क्षेत्र अनुसार आरक्षित दरें प्रभावी होगी।

6 प्राधिकरण के आरक्षित दरों के संबंध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक F(200)(Pt.-IV)JDA/OSD(RM) /2017-18/D-799 Date 14.09.2017 के द्वारा उपरोक्त योजनाओं एवं जोन–10 की रिंग रोड़ हेतु पुनः निर्धारित आरक्षित दरों के स्थान पर इस आदेश द्वारा जारी दरे प्रभावी होगी। इस आदेश से पूर्व निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(एच. गुईटे)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर